FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0029 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/09/2025 19:56 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2025 **Time (समय):** 19:56 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Date and Time (दिनांक और समय):** 10/09/2025 19:56 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): थाना शहजादपुर,अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** बृज पाल

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्याम लाल शर्मा

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1970 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**गांव बडी बस्सी, शहजादपुर, SHAHZADPUR, AMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**गांव बडी बस्सी, शहजादपुर, SHAHZADPUR, AMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8295956486

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	उप नि. कुलदीप सिहं			1. थाना शहजादपुर, AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा मे

श्री मान जी ,

निवेदन है कि बृजपाल S/O श्याम लाल शर्मा वासी गांव बडी बस्सी थाना शहजादपुर जिला अम्बाला का रहने वाला हुँ थाना शहजादपुर मे SI कुलदीप सिहं तैनात है जिसने मेरे से मेरे बेटे जतिन शर्मा को केस मे फसाने के डर

दिखाकर मेरे से पैसों की डिमाण्ड की है जो आज दिनांक 10.09.2025 को 20,000/- रुपये देने का वादा किया है जो उसको मै यह पैसे देना नही चाहता बल्कि उसको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ कार्यवाही की जावे रुपये मागने की मैने रिकाडिंग की हुई है बाद मे आपको पेश कर दुंगा।

-sd- Brijpal
s/o Shayam lal
R/O Barri Bassi
Dt 10.09.2025
Ph 8295956486

कार्यवाही पुलिस :- दिनांक 18.01.2024 को मैं अपने कार्यालय में हाजिर था कि बृजपाल पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा वासी गाँव बडी बस्सी थाना शहजादपुर जिला अंबाला ने कार्यालय में आकर अपनी हस्तलिखित शिकायत पेश की, जिस बारे उच्च अधिकारियों से विचार करके राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह नियुक्त करवाया गया। रेडिग पार्टी तैयार की गई जिसमें स. उप नि. हरिन्द्र सिंह 519/यमुनानगर, स. उप नि. दिलबाग सिंह 12/पंचकूला, स. उप नि. राजकुमार 209/ कुरुक्षेत्र, स. उप नि. दर्शन सिंह 341/यमुनानगर, चालक मुख्य सिपाही देवेंद्र सिंह 1/563 व सिपाही राजन कुमार 2757/गुरूग्राम हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत अनुसार रिश्वत राशि 20 हजार रूपए जो 500/500 रुपए के कुल 40 करंसी नोट पेश किए जिनकी रेडिंग पार्टी के सदस्यों की सहायता से सूचि नोट व इन्वेटरी नोट अलग से तैयार की गई जिन पर शिकायतकर्ता व गवाहान ने अपने-2 हस्ताक्षर किए। जो राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार जाखड, जिला सांख्यिकी अधिकारी, पंचकूला अपने कार्यायलय के सांख्यिकी सहायक श्री विष्णु के साथ हाजिर आए जिनके सामने शिकायतकर्ता बृजपाल को उसकी शिकायत, रिश्वत राशि 20 हजार रूपए जो 500/500 रुपए के कुल 40 करंसी नोट, सूचि नोट व इन्वेटरी नोट सहित पेश किया गया। जिन्होने शिकायतकर्ता बृजपाल से शिकायत के तथ्यों व शिकायत अनुसार रिश्वत राशि 20 हजार रूपए जो 500/500 रुपए के कुल 40 करंसी नोट पेश किए जाने बारे पूछताछ करके तसल्ली करने उपरांत सूचि नोट व इन्वेटरी को सत्यापित किया। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए असल नम्बरी नोटों पर मैंने बुश के द्वारा फिनोल पैथालीन पाऊडर लगाकर, शिकायतकर्ता श्री बृजपाल पुत्र श्री श्याम लाल उपरोक्त की जामा तलाशी विधि अनुसार लेकर, सभी करंसी नम्बरी नोट उसके हवाले करके आरोपी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह द्वारा बतौर रिश्वत राशि मांगने पर उसे देने बारे हिदायत की गई व छाया गवाह श्री विष्णु को हिदायत की गई कि वह शिकायतकर्ता श्री बृजपाल के आस पास रहकर बृजपाल व आरोपी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह के बीच होने वाली बातचीत को सुने तथा जब आरोपी के बतौर रिश्वत राशि मांगने पर बृजपाल उपरोक्त पाउडर लगे करन्सी नोट दे दे तो वह अपना हाथ ऊपर उठाकर ईशारा कर दे। इस बारे फर्द मकबुजगी करंसी नोट, जामा तलाशी शिकायतकर्ता, हवालगी करंसी नोट व नियुक्ति छाया गवाह अलग से तैयार की गई जिस पर शिकायतकर्ता व गवाहों ने अपने-2 हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता बृजपाल द्वारा पेश की दरखास्त के सार से अपराध धाराधीन 7 पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 308 बी.एन.एस. का होना पाया जाने पर तहरीर लिखकर तहरीर अभियोग अंकित करवाने के लिए EASI दर्शन सिंह 341/ यमुनानगर को थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पेशल रिपोर्ट अभियोग उपरोक्त स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज अंबाला की सेवा मे वा प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रतियां उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावें। अभियोग की कापी व असल लेख मौका पर भिजवाई जावे। हालात बारे उच्चाधिकारीगण को बजरिया फोन सूचित किया गया है। मैं रेडिंग पार्टी व रेडिंग किट, तफ्तीश बैग, लैपटॉप व प्रिंटर सहित अपनी सरकारी गाडी नम्बर HR03GV 1835 में रवाना शहजादपुर का होता हूं। राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह अपनी सरकारी गाडी में अलग से व शिकायतकर्ता बृजपाल छाया गवाह विष्णु सहित अपनी प्राईवेट गाडी में अलग से रवाना हुए हैं। अज- मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला।

-sd- vijay kumar
(विजय कुमार नेहरा, ह.पु.से.),
उप पुलिस अधीक्षक,
थाना रा.स. एवं. भ्र.नि. ब्यूरो, पंचकूला।
दिनांक 10.09.2025
at 04:00 PM

अज थाना – इस समय एक टाईप शुदा लेख श्री विजय कुमार उप पुलिस अधीक्षक रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो, पचंकुला मण्डल, पचंकुला, बर दरखास्त वृजपाल S/Oश्याम लाल शर्मा वासी गांव बडी बस्सी थाना शहजादपुर जिला अम्बाला बर

खिलाफ उप निरीक्षक कुलदीप सिंह थाना शहजादपुर जिला अम्बाला बाबत शिकायतकर्ता के बेटे जतिन शर्मा को केस मे फसाने के डर दिखाकर एवज मे 20000/- रुपये रिश्वत राशि मांगने बारे बाजूर्म धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 व 308 बी.एन.एस.2023 का होना पाया जाने बर बादस्त EASI दर्शन सिंह 341/ यमुनानगर के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. मुकदमा न. 29 दिनांक 10.09.2025 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 व 308 (2) बी.एन.एस.2023 थाना रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ई मेल के माध्यम से सेवा मे इलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख अनुसंधान हेतू अनुसंधानकर्ता के पास बादस्त आने वाले EASI दर्शन सिंह 341/ यमुनानगर को भेजा जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला मे अनुसंधानकर्ता विजय कुमार, उप पुलिस अधीक्षककी सी.सी.टी.एन.एस. आई.डी. न होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अनुसंधानकर्ता उप पुलिस अधीक्षक मुकेश, थाना रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्शाया गया है। यह अभियोग उप नि. रघबीर सिहं न. 91/पचंकुला, थाना रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Mukesh Jakhar **Rank (पद):** ACP (Assistant Commissioner of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.